



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1943 (श10)

(सं0 पटना 67) पटना, वृहस्पतिवार, 10 फरवरी 2022

सं0 6/भू0अर्जन-01-60/2021गृ0आ0/1085

गृह विभाग
आरक्षी शाखा

संकल्प

8 फरवरी 2022

विषय :- पटना जिलान्तर्गत बहादुरपुर थाना के भवन निर्माण हेतु बाजार समिति की प्रस्तावित 50 डी0 भूमि एवं पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पिपराकोठी थाना के भवन निर्माण हेतु कृषि फार्म की प्रस्तावित 70 डी0 भूमि गृह विभाग को अन्तर्विभागीय हस्तांतरण करने के लिए कृषि विभाग के संकल्प सं0-1289, दिनांक-18.04.2006 की कंडिका-5 में निहित प्रावधान को शिथिल करने के संबंध में।

बिहार राज्य के भवनहीन थाना/ओपी0 के भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने के क्रम में पटना जिला के अन्तर्गत बहादुरपुर थाना के भवन निर्माण हेतु बाजार समिति की 50 डी0 भूमि तथा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पिपराकोठी थाना के भवन निर्माण हेतु कृषि फार्म की 70 डी0 भूमि चिन्हित की गयी है।

2. पटना जिलान्तर्गत बहादुरपुर थाना के भवन निर्माण हेतु उक्त थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि/अन्य विभाग की भूमि/रैयती भूमि उपलब्ध नहीं है। समाहर्ता, पटना के पत्रांक-1112/रा0, दिनांक-06.07.2019 द्वारा पटना जिलान्तर्गत बहादुरपुर थाना के भवन निर्माण के लिए अंचल-पटना सदर, मौजा-संदलपुर, थाना नं0-11, खेसरा सं0-02, 16, 17, 64, कुल रकबा-50 डी0 बाजार समिति की भूमि चिन्हित करते हुए गृह विभाग के नाम से हस्तांतरण हेतु कृषि विभाग, बिहार, पटना से अनापत्ति की माँग की गयी है।

समाहर्ता, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4274, दिनांक-25.11.2021 द्वारा पटना जिलान्तर्गत बहादुरपुर थाना के भवन निर्माण हेतु बाजार समिति की प्रस्तावित 50 डी0 भूमि पर इस शर्त के साथ विभागीय सहमति प्रदान की गयी है कि बहादुरपुर थाना हेतु प्रस्तावित भूमि गृह विभाग के नाम से अन्तर्विभागीय हस्तांतरण के लिए मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त कर ली जाए।

3. राज्य सरकार द्वारा पिपराकोठी में कृषि फार्म की जमीन पर पिपराकोठी थाना भवन के निर्माण की घोषणा की गई थी। पिपराकोठी कृषि फार्म की भूमि मौजा-पीपराकोठी थाना नं0-210 के अन्तर्गत खाता सं0-03, खेसरा सं0-13/1 रकबा 1.00 एकड़ पर पिपराकोठी थाना भवन के निर्माण हेतु कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की गयी है।

उपर्युक्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4275, दिनांक-25.11.2021 द्वारा पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिलान्तर्गत पिपराकोठी थाना के भवन निर्माण हेतु कृषि फार्म की प्रस्तावित 70 डी0 भूमि

पर इस शर्त के साथ विभागीय सहमति प्रदान की गयी है कि पिपराकोठी थाना हेतु प्रस्तावित भूमि गृह विभाग के नाम से अन्तर्विभागीय हस्तांतरण के लिए मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त कर ली जाए।

4. कृषि विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-1289, दिनांक-18.04.2006 की कंडिका-5 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के अन्य विभागों एवं जिला प्रशासन को बाजार समिति की भूमि/बीज गुणन प्रक्षेत्र की भूमि भवन निर्माण कार्य हेतु हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

5. पटना जिलान्तर्गत बहादुरपुर थाना के भवन निर्माण हेतु बाजार समिति की प्रस्तावित 50 डी० भूमि एवं पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पिपराकोठी थाना के भवन निर्माण हेतु कृषि फार्म की प्रस्तावित 70 डी० भूमि गृह विभाग को अन्तर्विभागीय हस्तांतरण करने के लिए कृषि विभाग के संकल्प सं०-1289, दिनांक-18.04.2006 की कंडिका-5 में निहित प्रावधान को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-01.02.2022 में मद संख्या-3 के निर्णय के आलोक में शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार संबंधित जिला पदाधिकारी उक्त भू-खण्डों के अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के लिए आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करेंगे।

ज्ञातव्य हो कि सचिव, कृषि विभाग के पत्रांक-130, दिनांक-29.11.2021 द्वारा सूचित किया गया कि कृषि निदेशक के पत्रांक-4274, दिनांक-25.11.2021 एवं पत्रांक-4275, दिनांक-25.11.2021 द्वारा क्रमशः बहादुरपुर थाना (पटना) एवं पिपराकोठी थाना (पूर्वी चम्पारण) हेतु कृषि विभाग से अनापत्ति/विभागीय सहमति संबंधित समाहर्ता को दे दी गयी है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी 100 प्रतियाँ इस विभाग को भी भेजी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 67-571+100-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>